प्रकरण संख्या–03/2018 तारीख रजु–30.01.2018

(3)

न्यायालय जिला कलक्टर करौली

पीठासीन अधिकारी अभिमन्यु कुमार आई.ए.एस.

उनवान

1. ठकुरी आयु 55 साल
2. रामकुमार आयु 45 साल

पिसरान चिम्मन जाति ब्राह्मण निवासी दरगमा तहसील मण्डरायल जिला करौली राजस्थान।

––प्रार्थी अपीलाण्ट

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार मण्डरायल, जिला करौली – रेस्पोडेण्ट

अपील विरूद्ध निर्णय न्यायालय तहसीलदार मण्डरायल अपराध अन्तर्गत धारा 91 एल.आर.एक्ट निर्णय दिनांक 24.01.2018 प्रकरण संख्या 9/2018

निर्णय

दिनांक–19.06.2018

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलाण्ट्स द्वारा यह अपील पेश कर निवेदन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार मण्डरायल का निर्णय परवर्श आरवेट्रेररी एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के विपरीत पारित किया गया है इसलिये खारिज किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय ने प्रार्थी को आराजी खसरा नम्बर 19 रकवा 225 बीघा 10 विस्वा स्थित ग्राम दरगमा में से 5 बीघा भूमि पर पश्चातवर्ती अतिक्रमी मानते हुए तीन माह के सिविल कारावास एवं 125/–रूपये शास्ति से दण्डित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपना निर्णय एक पक्षीय रूप से पारित किया है जिसमें हम प्रार्थी को सुनवाई का पर्याप्त अवसर नहीं दिया गया। इसलिये अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय के नोटिस हम प्रार्थी को कभी प्राप्त नहीं हुए। बिना तामील की विधिक प्रक्रिया के अधीनस्थ न्यायालय के चपरासी ने दिनांक 24.01.2018 को मुझ प्रार्थी नं. 1 को मण्डरायल बाजार से तहसील कार्यालय में बुलाकर प्रकरण के नोटिसों पर स्वयं मुझ प्रार्थी नं. 1 के तथा प्रार्थी सं. 2 मेरे भाई रामकुमार के फर्जी हस्ताक्षर करा लिये तथा मुझ प्रार्थी को यह कहा गया कि थोडी देर बाद आपको प्रकरण में सुनवाई के लिये आपको आगामी पेशी दे दी जायेगी, आप आगामी पेशी पर अपना वकील कर न्यायालय में अपना पक्ष प्रस्तुत कराना। प्रार्थी को शाम तक न्यायालय परिसर में बैठे रहने के बाबजूद भी कोई तारीख पेशी नहीं दी गई और प्रार्थी को तारीख पेशी के लिये पूछने पर यह कह दिया गया कि आप आगामी सप्ताह के सोमवार को आ जाना उस दिन आपकी पत्रावली सुनवाई मे रखी जायेगी। प्रार्थी अधीनस्थ न्यायालय के कर्मचारियों की बातों पर भरोसा करके अपने गाँव लौट आया। प्रार्थी को दूसरे दिन अखबार में प्रार्थी की सजा के बारे में खबर छपने पर इस निर्णय की जानकारी हुई। इसलिये अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय छल एवं कपटपूर्ण तरीके से विधिक प्रक्रिया का पालन किये बिना प्रार्थी को बिना सुने प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत की घोर अवहेलना कर

जिला कलक्टर
करौली

पारित किया गया है। इसलिये खारिज किये जाने योग्य है। आराजी खसरा नं. 19 के दोनों ओर लगी हुई हम प्रार्थी की खातेदारी भूमि है जिस पर प्रारम्भ से ही हम प्रार्थी एवं ग्राम वासियों की मवेशी चरा करती थी। जिस रकवे में पटवारी हल्का ने हम प्रार्थी द्वारा सरसों की काश्त किया जाना अंकित किया है वह भूमि खसरा नं. 19 की भूमि नहीं है बल्कि हम प्रार्थी की इस खसरा नम्बर से लगी हुई खातेदारी भूमि है। जिसका राजस्व रिकॉर्ड उक्त पत्रावली में प्रस्तुत किया जावेगा। प्रार्थी ने सरकारी भूमि पर कोई कब्जा नहीं किया ना ही कोई फसल काश्त की। पटवारी हल्का की झूंठी तथा एक पक्षीय रिपोर्ट के आधार पर प्रार्थी को बिना सुनवाई का अवसर दिये पारित किया गया निर्णय विधि के विपरीत है इसलिये अपील स्वीकार किया जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त किये जाने योग्य है। प्रार्थी गरीब एवं मजदूरपेशा व्यक्ति हैं तथा अपने परिवार का एक मात्र कमाऊ व्यक्ति है। प्रार्थी को यदि अधीनस्थ न्यायालय की पालना में जेल भिजवा दिया गया तो प्रार्थी के परिवारों के समझ रोजी रोटी का संकट पैदा हो जायेगा। इसलिये प्रार्थी की व्यक्तिगत परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय खारिज किये जाने योग्य है। अपील अन्दर म्याद प्रस्तुत की जा रही है। अंत में अपील अपीलाण्ट स्वीकार किये जाने का निवेदन किया है।

अपील अपीलाण्ट दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोण्डेण्ट की तलबी जरिये सम्मन नोटिस की गई। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब कर शाामिल पत्रावली की गई।

बहस उभय पक्ष सुनी गयी। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

वकील अपीलाण्ट ने अपील में दर्ज तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार मण्डरायल का निर्णय परिवरिश रेस्पोण्डेण्ट, आरबिट्रेरी एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के विपरीत पारित किया गया है इसलिये खारिज किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपना निर्णय एक पक्षीय रूप से पारित किया है जिसमें हम प्रार्थी को सुनवाई का पर्याप्त अवसर नहीं दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय के नोटिस हम प्रार्थी को कभी प्राप्त नहीं हुए। बिना तामील की विधिक प्रक्रिया के अधीनस्थ न्यायालय के चपरासी ने दिनांक 24.01.2018 को मुझ प्रार्थी नं. 1 को मण्डरायल बाजार से तहसील कार्यालय में बुलाकर प्रकरण के नोटिसों पर स्वयं मुझ प्रार्थी नं. 1 के तथा प्रार्थी सं. 2 मेरे भाई रामकुमार के फर्जी हस्ताक्षर करा लिये तथा मुझ प्रार्थी को यह कहा गया कि थोडी देर बाद आपको प्रकरण में सुनवाई के लिये आगामी पेशी दे दी जायेगी, आप आगामी पेशी पर अपना वकील कर न्यायालय में अपना पक्ष प्रस्तुत कराना। प्रार्थी को शाम तक न्यायालय परिसर में बैठे रहने के बाबजूद भी कोई तारीख पेशी नहीं दी गई और प्रार्थी को तारीख पेशी के लिये पूछने पर यह कह दिया गया कि आप आगामी सप्ताह के सोमवार को आ जाना उस दिन आपकी पत्रावली सुनवाई मे रखी जायेगी। प्रार्थी अधीनस्थ न्यायालय के कर्मचारियों की बातों पर भरोसा करके अपने गाँव लौट आया। प्रार्थी को दूसरे दिन अखबार में प्रार्थी की सजा के बारे में खबर छपने पर इस निर्णय की जानकारी हुई।

जिला कलक्टर
करौली

(5)

इसलिये अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय छल एवं कपटपूर्ण तरीके से विधिक प्रक्रिया का पालन किये बिना प्रार्थी को बिना सुने प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत की घोर अवहेलना कर पारित किया गया है। आराजी खसरा नं. 19 के दोनों ओर लगी हुई हम प्रार्थी की खातेदारी भूमि है जिस पर प्रारम्भ से ही हम प्रार्थी एवं ग्राम वासियों की मवेशी चरा करती थी। जिस रकवे में पटवारी हल्का ने हम प्रार्थी द्वारा सरसों की काश्त किया जाना अंकित किया है वह भूमि खसरा नं. 19 की भूमि नहीं है बल्कि हम प्रार्थी की इस खसरा नम्बर से लगी हुई खातेदारी भूमि है। प्रार्थी ने सरकारी भूमि पर कोई कब्जा नहीं किया ना ही कोई फसल काश्त की। पटवारी हल्का की झूंठी तथा एक पक्षीय रिपोर्ट के आधार पर प्रार्थी को बिना सुनवाई का अवसर दिये पारित किया गया निर्णय विधि के विपरीत है। अंत में अपील अपीलाण्ट स्वीकार किये जाने का कथन किया है।

पैरोकार सरकार का बहस में कथन है कि निर्णय नियमानुसार एवं विधिवत् अपीलाण्ट्स स्वयं पर तामील करवाकर पारित किया गया है। अंत में अपील अपीलाण्ट को खारिज किये जाने का कथन किया है।

तहसीलदार मण्डरायल से मौका रिपोर्ट प्राप्त की गई। तहसीलदार मण्डरायल ने पत्रांक 228 दिनांक 12.06.2018 से अवगत कराया है कि पटवारी हल्का ओण्ड द्वारा दिनांक 12.06.18 को मौका देखा गया जिसमें खसरा नं. 19 ग्राम दरगवां पर से अतिक्रमी श्री ठकुरी, रामकुमार पि. चिम्मन जाति ब्राह्मण द्वारा अतिक्रमण हटा लिया गया है। वर्तमान में उक्त भूमि खाली पड़ी हुई है।

बहस उभयपक्ष एवं पत्रावली का अवलोकन कर मनन किया गया। अपीलाण्ट्स द्वारा उक्त खसरा नम्बर 19 रकबा 5 बीघा पर अपना अतिक्रमण नहीं होने बाबत् शपथ पत्र प्रस्तुत किया है एवं तहसीलदार मण्डरायल द्वारा अतिक्रमी अपीलाण्ट द्वारा कब्जा हटा लेने एवं वर्तमान में मौके पर भूमि खाली पड़ी होने बाबत् अवगत कराया है। अतः निर्णय दिनांक 24.01.2018 अधीनस्थ न्यायालय को अपास्त किया जाना उचित समझते हैं।

अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाती है। निर्णय दिनांक 24.01.2018 अधीनस्थ न्यायालय अपास्त किया जाता है। निर्णय की प्रति अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के साथ भिजवाई जावे।

निर्णय आज दिनांक 19.06..2018 को खुले न्यायालय में लिखवाया जाकर सुनाया गया।

(अभिमन्यु कुमार)
जिला कलक्टर
करौली